129

न्यायालय :— माननीय राजस्व महोदय मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी R 638 I 47

निगरानी प्रकरण 2017 - 638/17

1. रतनलाल पुत्र आशाराम वैश्य
2. रमेश पुत्र पूजाराम शर्मा

निवासीगण अम्बाह तहसील अम्बाह

जिला मुरैना म.प्र.

——— आवेदकगण

श्री एस.पी. धाकड़ द्वारा आज दि. 13-02-2017 को प्रस्तुत।

13-2-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरूद्ध

म.प्र. शासन

——— रेस्पोडेन्ट्

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय मुरैना के प्र.क. 47/अपील/2016—17 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :—

13.2.17

निगरानी के तथ्यः—

1. यह कि, आवेदकगण ग्राम बड़फरा स्थित भूमि सर्वे क. 847 रकवा **0.857** हें. के आवेदकगण भूमिस्वामी होकर अधिपत्यधारी है। तथा अपने अधिपत्य की भूमि से आवश्यकतानुसार कुछ प्लाट विक्रय किये है। तथा किसी भी प्रकार से अवैध कॉलोनी का निर्माण नही किया है।

2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक नायव तहसीलदार अम्बाह के एक पक्षीय रिर्पोट के आधार पर प्रकरण पंजीवद्ध कर आवेदकगण को नोटिस जारी किया जाना बतलाया गया है। किन्तु आज दिनांक तक आवेदकगण को उक्त प्रकरण में कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ और ना ही आवेदकगण को जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। शासन की ओर जो साक्ष्य लेना बतलाई गई है। वह भी एक पक्षीय रूप से ली गई है। न तो स्थल निरीक्षण के समय और नही ही साक्ष्य के समय आवेदकगण को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनु.वि.अधि. अम्बाह के प्रकरण क्र. 33/बी—121/2010—11 ने आदेश दिनांक 04.07.2011 से आवेदकगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-638-एक/17 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	